


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 1470/2014.....जिला.....श्रीगंगानगर.....

उनवान- श्रीमति कैलाश देवी पत्नि बिहारीलाल नागपाल, श्रीगंगानगर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, श्रीगंगानगर व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
18.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री ईश्वरी लाल वर्मा-सदस्य</p> <p>प्रार्थीया निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री अमृतपाल सिंह वानर व हरदत्त सहारण एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थीया के अभिभाषक की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थीया ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वसूली राशि में छूट के अनुसार बकाया राशि जमा करवाना चाहती है एवं उक्त निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहती है इसलिए प्रार्थीया की निगरानी को विद्वान किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त निगरानी को इसी स्तर पर आज ही विद्वान किये जाने के आदेश पारित करे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1470/2014/ श्रीगंगानगर जरिये विद्वान (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य </div>	